

(भारत के राजपत्र के भाग – 1, खंड – 1 में प्रकाशन के लिए)

सं. 20017/01/2024-राजभाषा(नीति)

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
राजभाषा विभाग

\*\*\*\*\*

एनडीसीसी-II भवन, 'बी'-विंग, चौथा तल,  
जय सिंह रोड़, नई दिल्ली – 110001

दिनांक 21.01.2025

### संकल्प

संख्या 20017/01/2024-राजभाषा(नीति) - भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1  | प्रधानमंत्री   | - अध्यक्ष    |
| 2  | गृह मंत्री   | - उपाध्यक्ष  |
| 3  | गृह राज्य मंत्री (गृह मंत्रालय में राजभाषा के प्रभारी) | - सदस्य      |
| 4  | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री                      | - सदस्य      |
| 5  | शिक्षा मंत्री  | - सदस्य      |
| 6  | विधि और न्याय मंत्री                                   | - सदस्य      |
| 7  | रेल एवं इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री     | - सदस्य      |
| 8  | वित्त राज्य मंत्री                                     | - सदस्य      |
| 9  | कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री              | - सदस्य      |
| 10 | विदेश राज्य मंत्री                                     | - सदस्य      |
| 11 | मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश                               | - सदस्य      |
| 12 | मुख्यमंत्री, राजस्थान                                  | - सदस्य      |
| 13 | मुख्यमंत्री, गुजरात                                    | - सदस्य      |
| 14 | मुख्यमंत्री, असम                                       | - सदस्य      |
| 15 | मुख्यमंत्री, सिक्किम                                   | - सदस्य      |
| 16 | मुख्यमंत्री, तेलंगाना                                  | - सदस्य      |
| 17 | उपाध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति                        | - सदस्य      |
| 18 | संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति के संयोजक         | - सदस्य      |
| 19 | संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति के संयोजक        | - सदस्य      |
| 20 | संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति के संयोजक        | - सदस्य      |
| 21 | सचिव, राजभाषा विभाग                                    | - सदस्य सचिव |

-2-

2. यह समिति हिंदी के विकास और प्रसार के विषय में तथा सरकारी काम काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों तथा कार्यक्रमों का समन्वय करेगी।
3. अपने काम के निष्पादन में सहायता देने के लिए समिति को आवश्यकतानुसार उपसमितियां नियुक्त करने और अतिरिक्त सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा।
4. समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देने के प्रयोजन से इस समिति को उच्च स्तरीय समिति माना जाएगा।
5. समिति के कार्यकाल की अवधि उसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगी।
6. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23438130

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, नीति आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मीनाक्षी जौली

(डॉ० मीनाक्षी जौली)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23438130

सेवा में,

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली

20017/01/2024-राजभाषा(नीति)

दिनांक 21.01.2025

सेवा में,

1. केंद्रीय हिंदी समिति के सभी सदस्य।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को भी सूचनार्थ भिजवा दें।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
7. नीति आयोग, नई दिल्ली।
8. भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
9. लेखा निदेशक (केंद्रीय राजस्व), नई दिल्ली।
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन संपर्क (गृह), प्रेस सूचना का कार्यालय, नई दिल्ली। उनसे अनुरोध है कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
15. सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान स्टाफ अधिकारी।
16. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान निजी सचिव।
17. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग। उनसे अनुरोध है कि वे इस संकल्प को राजभाषा विभाग कि वेबसाइट पर अपलोड करें।

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23438130

(To Be Published In The Gazette Of India, Part 1, Section 1)

No. 20017/01/2024-OL(Policy)

Government of India

Ministry of Home Affairs

Department of Official Language

\*\*\*\*\*

NDCC-II Bhawan, 4<sup>th</sup> Floor,  
Jai Singh Road, New Delhi – 110001

Dated: 21.01.2025

RESOLUTION

No. 20017/01/2024-O.L.(Policy) – The Government of India have decided to reconstitute the Kendriya Hindi Samiti. The Samiti will consist of:-

- |    |  |   |                    |
|----|--|---|--------------------|
| 1  | Prime Minister   | - | Chairperson        |
| 2  | Home Minister  | - | Deputy Chairperson |
| 3  | Minister of State, In-charge of Official Language in<br>Ministry of Home Affairs     | - | Member             |
| 4  | Minister of Health & Family Welfare  | - | Member             |
| 5  | Minister of Education  | - | Member             |
| 6  | Minister of Law & Justice  | - | Member             |
| 7  | Minister of Railways, Electronics & Information<br>Technology                        | - | Member             |
| 8  | Minister of State, Ministry of Finance   | - | Member             |
| 9  | Minister of State, Ministry of Personnel, Public<br>Grievances and Pensions          | - | Member             |
| 10 | Minister of State, Ministry of External Affairs                                      | - | Member             |
| 11 | Chief Minister, Madhya Pradesh   | - | Member             |
| 12 | Chief Minister, Rajasthan  | - | Member             |
| 13 | Chief Minister, Gujarat  | - | Member             |
| 14 | Chief Minister, Assam  | - | Member             |
| 15 | Chief Minister, Sikkim   | - | Member             |
| 16 | Chief Minister, Telangana  | - | Member             |
| 17 | Deputy Chairman, Committee of Parliament on<br>Official Language                     | - | Member             |
| 18 | Convenor of 1st sub-committee of the Committee of<br>Parliament on Official Language | - | Member             |
| 19 | Convenor of 2nd sub-committee of the Committee<br>of Parliament on Official Language | - | Member             |
| 20 | Convenor of 3rd sub-committee of the Committee of<br>Parliament on Official Language | - | Member             |
| 21 | Secretary, Department of Official Language   | - | Member Secretary   |

-2-

2. The functions of this Samiti will be to bring about coordination in the work and programmes relating to the development, propagation and progressive use of Hindi for the official purposes being implemented by the various Ministries/ Departments of Government of India.
3. The Samiti will have the power to appoint Sub-Committees and Co-opt additional members, as may be necessary, for assisting it in the discharge of its functions.
4. This Samiti will be treated as High Powered Committee for the purposes of grant of TA/DA to its non-official members for participation in its meetings.
5. The term of the Samiti will be three years from the date of its reconstitution.
6. The Headquarter of the Samiti will be at New Delhi.

*Meenakshi Jolly*  
(Dr. Meenakshi Jolly)

Joint Secretary, Government of India

Tel : 011-23438130

### ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Administrators of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Niti Aayog, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

*Meenakshi Jolly*  
(Dr. Meenakshi Jolly)

Joint Secretary, Government of India

Tel : 011-23438130

To,

The Manager,  
Government of India Press,  
Minto Road, New Delhi

No. 20017/01/2024-O.L.(Policy)

Dated 21.01.2025

## Copy forwarded to :-

1. All Members of the Samiti.
2. All Chief Secretaries of all State and Administrators of all Union Territories.
3. Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.
4. President's Secretariat, New Delhi.
5. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
6. Cabinet Secretariat, New Delhi.
7. NITI Aayog, New Delhi.
8. Office of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
9. Director of Account (Central Revenue), New Delhi.
10. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
11. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
12. Parliament's Library, Parliament House, New Delhi.
13. The Director, Public Relations (Ministry of Home Affairs), Office of the Press Information Bureau, New Delhi with request to issue the Press Note of the Government's decision.
14. All Officers/Sections of the Department of Official Language.
15. Principal Staff Officer to Secretary, Department of Official Language.
16. Principal Private Secretary to Joint Secretary, Department of Official Language.
17. Senior Technical Director, Department of Official Language with the request to upload this Resolution on the Department's website.



(Dr. Meenakshi Jolly)

Joint Secretary to the Government of India

Tel : 011-23438130